17

In pursuance of the provision of clause (3) of Article 348 of the The Constitution of India the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification no. 262/IX-1-Sin./2003, dated October 17, 2003 for general information.

No. 262/IX-1-Sin./2003 Dated Dehradun, October 17, 2003

Government of Uttarakhand
Irrigation Section
No. --------/II-2017-01( )/20
Dehradun: Dated ----------
Notification

In exercise of the powers conferred by the provision of Article 309 of "the constitution of India" and in supersession of all existing rules & orders on the subject, the Governor is pleased to make the following rules with a view of further amendment the Uttarakhand Service of Scientific Cadre (Group "A", "B" & "C") Rules 2003 and Amended Service Rule 2014.

UTTARAKHAND SERVICE OF SCIENTIFIC CADRE (IRRIGATION DEPARTMENT) (GROUP "A", "B" & "C") (Amendment) RULES, 2018

1. Short title and Commencement (1) These rules may be called Uttarakhand Service of Scientific Cadre (Irrigation Department) (Group "A", "B" & "C") (Amendment) Rules 2019.

(2) It shall come into force at once.

2. Part 3- Recruitment: Rule-5 Source of Recruitment (1) Uttarakhand Service of Scientific Cadre (Irrigation Department) (Group "A", "B" & "C") Rules 2003, for the existing rules in clause D(1)(2) and E(1)(2) of rule 5 set out in column 1 below, the rule as set out in column 2 shall sustained; namely:-

Column-1 (Existing Rule)	Column-2 (Rule as hereby substituted)
(D) Assistant Research Officer	**(D) Assistant Research Officer**
(1) Recruitment to 25% posts of Assistant Research Officer shall be made by transfer of Assistant Engineers working in the department.	
(2) Recruitment to 75% posts of Assistant Research Officer shall be made by promotion from amongst, subject to reject unfit, such Research supervisors who have completed the continuous service of 7 years on the first July of the year of recruitment.	Recruitment to posts of Assistant Research Officer shall be made by promotion on the basis of seniority from amongst, subject to reject unfit, such Research Supervisors who have completed the continuous service of 7 years on the first July of the year of recruitment.
(E) Research Officer	**(E) Research Officer**
(1) Recruitment to 50% posts of Research Officer shall be made by transfer of Executive Engineers working in the department.	
(2) Recruitment to 50% posts of Research Officer shall be made by promotion from amongst, subject to reject unfit, such Assistant Research Officers who have completed the continuous service of 7 years on the first July of the year of recruitment.	Recruitment to posts of Research Officer shall be made by promotion on the basis of seniority from amongst, subject to reject unfit, such Assistant Research Officers who have completed the continuous service of 7 years on the first July of the year of recruitment.

Part Four- Qualifications Rule 9 Inclusion/modification of Compulsory/Preferential qualifications -

Column-1 (Existing Rule)	Column-2 (Rule as hereby substituted)
-	**9. Mandatory/Eligible Qualifications:-** A candidate is essentially required to be registered in any Employment Exchange of the State of Uttarakhand.

4. Part Four- Qualifications, inclusion/modification of Rule 10 preferential qualifications in place of Rule 9 preferential qualifications-

Column-1 (Existing Rule)	Column-2 (Rule as hereby substituted)
9. Preferential Qualifications- A candidate who has served in the Territorial Army for a minimum period of two years, or obtained a "B" certificate on National Cadet Corps shall, other things being equal, be given preference in the matter of direct recruitment.	**10. Preferential Qualifications-** A candidate who has served in the Territorial Army for a minimum period of two years, or obtained a "B" or "C" certificate on National Cadet Corps shall, other things being equal, be given preference in the matter of direct recruitment.

5. Part Four - Qualifications, Amendment of Rule 10 Age-

Column-1 (Existing Rule)	Column-2 (Rule as hereby substituted)
10. Age- A candidate for direct recruitment must have attained the age of 21 years for the post of Model Assistant and must not have attained the age of more than 36 years on the first day of July of the calendar year. But, Provided that the upper age-limit in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and such other categories as may be notified by the Government from time to time shall be greater by such number of years as may be specified. Provided that in no case the upper age limit shall be more than 45 years	**11. Age-** A candidate for direct recruitment must have attained the age of 21 years and must not have attained the age of more than 42 years on the first day of January of the year if the post(s) is to be advertised during the period from 1st January to 30th June and must have attained the age of 21 years and must not have attained the age of more than 42 years on the first day of July of the year if the post(s) is to be advertised during the period from 1st July to 31st December. But the upper age-limit in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and such other categories as may be notified by the Government from time to time shall be increased as may be prescribed.

Continued:-03

19

Existing Appendix 'A'

(See Part 2 of Rule-4 and Part-7 of Rule-22)

Sl. No.	Name of Post	Pay scale	No. of Posts
1	2	3	4
1	Model Assistant	3050-4590	
2	Scientific Assistant	4500-7000	
3	Research Supervisor	5000-8000	
4	Assistant Research Officer	8000-13500	
5	Research Officer	10000-15200	

Hereby Amended Appendix 'A'

(See Part 2 of Rule-4 and Part-7 of Rule-22)

Sl. No.	Name of Post	Previous Pay Scale (As per cadre Structure)	Revised Pay scale as per 7th pay Commission	No. of Posts
1	2	3	4	5
1	Model Assistant	5200-20200+1900	19900-63200 (Level-2)	48
2	Scientific Assistant	2500-20200+2800	29200-92300 (Level-5)	48
3	Research Supervisor	9300-34800+4200	35400-112400 (Level-6)	56
4	Assistant Research Officer	15600-39100+5400	56100-177500 (Level-10)	18
5	Research Officer	15600-39100+6600	67700-208700 (Level-11)	06

उत्तराखण्ड शासन
सिंचाई अनुभाग
अधिसूचना
04 फरवरी 2014 ई0

संख्या / II – 2017–01()/20 राज्यपाल "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तराखण्ड वैज्ञानिक संवर्ग (सिंचाई विभाग) सेवा नियमावली (समूह "क" "ख" व "ग") सेवा नियमावली 2003 एवं संशोधित सेवा नियमावली 2014 में अग्रतर संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

उत्तराखण्ड वैज्ञानिक संवर्ग (सिंचाई विभाग) सेवा नियमावली (समूह "क" "ख" व "ग") (संशोधन) सेवा नियमावली 2018

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ: (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड वैज्ञानिक संवर्ग (सिंचाई विभाग) सेवा नियमावली (समूह "क" "ख" व "ग") (संशोधन) सेवा नियमावली 2019 है।

(2) यह तुरन्त प्रभावी होगी।

2. भाग तीन– भर्ती: नियम–5 भर्ती का स्रोत– का संशोधन (1) उत्तराखण्ड वैज्ञानिक संवर्ग (सिंचाई विभाग) सेवा नियमावली (समूह "क" "ख" व "ग") सेवा नियमावली 2003, में स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान प्रस्तर–5 घ (1)(2) एवं ङ(1)(2) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा; अर्थात्:–

स्तम्भ–1 (वर्तमान खण्ड)	स्तम्भ–2 (एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड)
(घ) सहायक शोध अधिकारी: (1) इस सेवा के 25 प्रतिशत पदों पर भर्ती विभाग में कार्यरत सहायक अभियन्ताओं के स्थानान्तरण से की जायेगी (2) इस सेवा के 75 प्रतिशत पदों पर भर्ती पदोन्नति द्वारा ऐसे शोध पर्यवेक्षकों में से, अनुपयुक्त को छोड़ते हुए, पदोन्नति द्वारा की जायेगी जिन्होंने अपने पद पर भर्ती के वर्ष की एक जुलाई को सात वर्ष की निरन्तर सेवा पूर्ण कर ली हो।	(घ) सहायक शोध अधिकारी: इस सेवा के पदों पर भर्ती विभाग में कार्यरत ऐसे शोध पर्यवेक्षकों में से, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा की जाएगी, जिन्होंने अपने पद पर भर्ती के वर्ष की 1 जुलाई को 7 वर्ष की निरन्तर सेवा पूर्ण कर ली हो
(ङ) शोध अधिकारी: (1) इस सेवा के 50 प्रतिशत पदों पर भर्ती विभाग में कार्यरत अधिशासी अभियन्ताओं के स्थानान्तरण से की जायेगी (2) इस सेवा के 50 प्रतिशत पदों पर भर्ती विभाग में कार्यरत ऐसे सहायक शोध अधिकारियों में से, अनुपयुक्त को छोड़ते हुए, पदोन्नति द्वारा की जायेगी जिन्होंने अपने पद पर भर्ती के वर्ष की एक जुलाई को सात वर्ष की निरन्तर सेवा पूर्ण कर ली हो।	(ङ) शोध अधिकारी: इस सेवा के पदों पर भर्ती विभाग में कार्यरत ऐसे सहायक शोध अधिकारियों में से, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा की जाएगी, जिन्होंने अपने पद पर भर्ती के वर्ष की 1 जुलाई को 7 वर्ष की निरन्तर सेवा पूर्ण कर ली हो

3. भाग चार –, अर्हताए नियम 9 अनिवार्य / वांछनीय अर्हता का समावेश / संशोधनः—

स्तम्भ—1 (वर्तमान खण्ड)	स्तम्भ—2 (एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड)
————————	9. अनिवार्य / वांछनीय अर्हताः— अभ्यर्थी को उत्तराखण्ड राज्य के किसी भी सेवायोजन कार्यालय में पंजीकृत होना आवश्यक है।

4. भाग चार –अर्हताएं, नियम 9 अधिमानी अर्हताएं– के स्थान पर नियम 10 अधिमानी अर्हताएं– का समावेश / संशोधन

स्तम्भ—1 (वर्तमान खण्ड)	स्तम्भ—2 (एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड)
9. अधिमानी अर्हताएं— ऐसे अभ्यर्थी को जिसने प्रादेशिक सेना में कम से कम दो वर्ष की अवधि तक की सेवा की हो और/अथवा नेशनल कैडेट कोर का बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, उसे अन्य बातें समान होने पर, सेवा में सीधी भर्ती के सम्बन्ध में अधिमान दिया जायेगा।	10. अधिमानी अर्हताएं— ऐसे अभ्यर्थी को, जिसने प्रादेशिक सेना में कम से कम दो वर्ष की अवधि तक की सेवा की हो और/अथवा नेशनल कैडेट कोर का बी अथवा सी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, उसे अन्य बातें समान होने पर भी, सेवा में सीधी भर्ती के सम्बन्ध में अधिमान दिया जायेगा।

5. भाग चार– अर्हताएं, नियम 10 आयु का संशोधन—

स्तम्भ—1 (वर्तमान खण्ड)	स्तम्भ—2 (एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड)
10. आयु— सेवा में सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी की आयु, भर्ती के वर्ष की 01 जुलाई को प्रतिरूप सहायक के पद हेतु 21 वर्ष से कम व 36 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। परन्तु, प्रतिबंध यह है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु—सीमा उतने वर्ष अधिक होगी, जितनी विनिर्दिष्ट की जाये। परन्तु, किसी भी मामले में आयु—सीमा 40 वर्ष से अधिक नहीं होगी।	11. आयु— सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की आयु, यदि पद 01 जनवरी से 30 जून की अवधि के दौरान विज्ञापित किए जाने हैं, तो जिस वर्ष भर्ती की जाती है, उस वर्ष की 01 जनवरी को 21 वर्ष और अधिक से अधिक 42 वर्ष होनी चाहिए, और यदि पद 01 जुलाई से 31 दिसंबर की अवधि के दौरान विज्ञापित किए जाते हैं, जो उस वर्ष की 01 जुलाई को 21 वर्ष और अधिक से अधिक 42 वर्ष होनी चाहिए। परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य ऐसी श्रेणियों के अभ्यर्थियों के मामले में जिन्हें सरकार द्वारा समय—समय पर अधिसूचित किया जाय, अधिकतम आयु उतनी बढ़ाई जाएगी, जैसा कि विहित किया जाय।

क्रमशः— 03

22

वर्तमान परिशिष्ट– 'क'

(नियम–4 का भाग 2 तथा नियम– 22 का भाग–7 देखिये)

क्रमांक	पद का नाम	वेतनमान	पदों की संख्या
1	2	3	4
1	प्रतिरूप सहायक	3050-4590	
2	वैज्ञानिक सहायक	4500-7000	
3	शोध पर्यवेक्षक	5000-8000	
4	सहायक शोध अधिकारी	8000-13500	
5	शोध अधिकारी	10000-15200	

एतद्द्वारा संशोधित परिशिष्ट– 'क'

(नियम–4 का भाग 2 तथा नियम– 22 का भाग–7 देखिये)

क्रमांक	पद का नाम	पूर्व वेतनमान (काडर स्ट्रक्चर के अनुसार)	सातवें वेतनमान के अनुसार संशोधित वेतनमान	पदों की संख्या
1	2	3	4	5
1	प्रतिरूप सहायक	5200-20200+1900	19900–63200 (लेवल–2)	48
2	वैज्ञानिक सहायक	5200-20200+2800	29200–92300 (लेवल–5)	48
3	शोध पर्यवेक्षक	9300-34800+4200	35400–112400 (लेवल–6)	56
4	सहायक शोध अधिकारी	15600-39100+5400	56100–177500 (लेवल–10)	18
5	शोध अधिकारी	15600-39100+6600	67700–208700 (लेवल–11)	06